(14)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समक्षः डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 580–तीन/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–09–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 632/2012–13/अपील.

———

1– रमेश पुत्र चतुरी जाटव
2– रामदास पुत्र चतुरी जाटव
निवासीगण आमोलपठा तह. करैरा
जिला शिवपुरी म.प्र.

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– महिला सुमन पुत्री जगदीश पत्नी रामेश्वर
ब्राहम्ण निवासी ग्राम आमोलपठा तहसील
करैरा जिला शिवपुरी म.प्र.
2– शासन म.प्र.

——— अनावेदकगण

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0पी0 धाकड़ ।
अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री बी0एन0 त्यागी ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 1 अप्रैल 2016 को पारित)

———

यह निगरानी म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 632/2012–13 आदेश दिनांक 30–09–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक –1 को विवादित आराजी सर्वे क. 457 का पट्टा तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 30–09–95 को दिया गया । आवेदकों द्वारा इसके विरूद्ध अपील अनुविभागीय –

अधिकारी को इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि उक्त आराजी पर आवेदक का 30–35 साल पुराना कब्जा है एवं पट्टा देने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया । अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 31–10–2011 को अपील अस्वीकृत कर दी । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर को अपील प्रस्तुत की जिसमें आदेश दिनांक 30–09–2014 को अपील निरस्त कर दी गई । अपर आयुक्त ग्वालियर के आदेश दिनांक 30–09–2014 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई ।

आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क दिये गये कि विचाराधीन भूमि पर आवेदक तथा उसके पिता एवं चाचा का लगभग 35 वर्ष से कब्जा है उन्हें पट्टे की पात्रता है जबकि अनावेदक कमाक–1 को पट्टा दिया गया जो जाति की ब्राहम्ण है उसे शासकीय भूमि के पट्टे की पात्रता नहीं है । अपर आयुक्त, ने इस बिन्दु पर विचार न कर तकनीकी आधार पर आवेदक की अपील निरस्त कर दी कि द्वितीय अपील का प्रावधान नहीं है तथा अपर आयुक्त को निगरानी सुनने की अधिकारिता नहीं है । अनावेदक कमांक–2 शासकीय अभिभाषक का तर्क है कि अपर आयुक्त का आदेश वैधानिक रूप से पूर्ण उचित है । राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत द्वितीय अपील का प्रावधान नहीं है, एवं निगरानी सुनने की अधिकारिता अपर आयुक्त, को नहीं है ।

आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने प्रकरण का अवलोकन किया । इससे प्रकट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर को अपील प्रस्तुत की गई थी । अपर आयुक्त ने यह मानते हुए कि राजस्व पुस्तक परिपत्र –4 (3) की कंडिका 30 (4) में किये गये आवंटन आदेश के विरूद्ध एक अपील का प्रावधान है जिसका लाभ आवेदक ले चुका है । द्वितीय अपील का प्रावधान नहीं होने के कारण अपील प्रकरण चलने योग्य नहीं है । निगरानी सुनने की अधिकारिता अपर आयुक्त, न्यायालय को नहीं है, अतः उनके समक्ष प्रस्तुत अपील प्रकरण समाप्त किया गया ।

अपर आयुक्त का उक्त आदेश वैधानिक रूप से उचित है क्योंकि निगरानी सुनने की अधिकारिता उन्हें नहीं है तथा विचाराधीन प्रकरण में द्वितीय अपील का प्रावधान नहीं है । अपर आयुक्त, द्वारा दिनांक 30–09–2014 को किये गये आदेश की निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 17–02–2016 को प्रस्तुत की गई है । आदेश की जानकारी बिलम्ब से प्राप्त होने के संबंध में आवेदक द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया । अपर आयुक्त, द्वारा किया गया विचाराधीन आदेश वैधानिक रूप से उचित है । अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राहय की जाती है ।

(डॉ मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर